

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सोलह'

[7/12/2016]

प्रश्न सं. [क. 674]

परिशिष्ट पृष्ठ - 1

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मन्त्रालय, भोपाल

दिनांक

21 AUG 2012

प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

2- प्रबंध संचालक,  
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित,  
भोपाल।


विषय:- नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में नीति का निर्धारण।

राज्य शासन एतद् द्वारा नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार नीति का निर्धारण किया जाता है:-

1. नलजल योजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायत/तदर्थ ग्राम स्वास्थ्य समिति/पंचजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से ग्राम की सर्वसहमति के आधार पर लेना होगा।
2. नलजल योजना के संचालन एवं संधारण तदर्थ ग्राम स्वास्थ्य समिति/पंचजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से किया जावेगा, इस आशय की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
3. नलजल योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
4. नलजल योजना से घरों में निजी कनेक्शन लेने हेतु कम से कम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा लिखित सहमति देनी होगी।
5. सामान्य परिवारों के बाहुल्य वाले ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 3.00 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य वाले ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 1.00 प्रतिशत अंशदान जन सहयोग के रूप में एकत्र करना होगा।
6. अंशदान के रूप में एकत्रित राशि सावधि जमा के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराई जावेगी।
7. ग्राम समितियों द्वारा नलजल योजना सफलतापूर्वक चलाई जावेगी उन योजनाओं में एकत्रित अंशदान की राशि में से 20.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से प्रोत्साहन राशि के रूप में आने वाले 5 वर्षों में उस समिति को उपलब्ध करा दी जावेगी।
8. पानी का वितरण ग्राम के सभी परिवारों में समान रूप से हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
9. समूह नलजल प्रदाय योजनाओं में अंशदान की राशि योजना लागत के प्रतिशत के रूप में ही आकर सभी परिवारों की बहन बगता के आधार पर हुए निर्धारण के अनुसार जमा करनी होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(जी. सी. चौरसी)  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

तारांकित विधान सभा प्रश्न क्रमांक 674 के उत्तर का परिशिष्ट

( प्रश्नकर्ता का नाम - अमर सिंह यादव, सदन में उत्तर देने का दिनांक 07.12.2016 )


राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में स्वीकृत नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम जहाँ योजना स्थापित है	योजना की वर्तमान स्थिति		बंद का कारण
				चालू	बंद	
1	राजगढ़	खैरासी	खैरासी	चालू	-	-
2	राजगढ़	बखेड	बखेड	चालू	-	-
3	राजगढ़	बामलावें	बामलावें	चालू(स्थल पर)	-	-
4	राजगढ़	बोंसखेडा	बोंसखेडा	चालू(स्थल पर)	-	-
5	राजगढ़	बनानिया	बनानिया	चालू(स्थल पर)	-	-
6	राजगढ़	कीलखेडा	कीलखेडा	चालू(स्थल पर)	-	-
7	राजगढ़	करेडी	करेडी	चालू	-	-
8	राजगढ़	करनवास	करनवास	चालू	-	-
9	राजगढ़	काचरी	काचरी	चालू(स्थल पर)	-	-
10	राजगढ़	कोलुखेडी	कोलुखेडी	चालू	-	-
11	राजगढ़	कालीपीठ	कालीपीठ	चालू	-	-
12	राजगढ़	कल्पोनी	कल्पोनी	चालू	-	-
13	राजगढ़	मोहनपुरा	मोहनपुरा	-	बंद	मोटर पंप खराबी से
14	राजगढ़	सिन्दुरिया	सिन्दुरिया	-	बंद	मोटर पंप खराबी से
15	राजगढ़	लिम्बोदा	लिम्बोदा	चालू	-	-
16	राजगढ़	पाडल्याखेडी	पाडल्याखेडी	चालू	-	-
17	राजगढ़	कल्पोनी	रसुलपुरा	चालू	-	-
18	राजगढ़	सवासडा	सवासडा	-	बंद	मोटर पंप खराबी से
19	राजगढ़	सुस्तानी	सुस्तानी	चालू	-	-
20	राजगढ़	देहरीवामन	देहरीवामन	चालू	-	-
21	राजगढ़	चौसला	चौसला	-	बंद	ग्राम पंचायत द्वारा न चलाने से
22	राजगढ़	चाटूखेडा	चाटूखेडा	चालू	-	-
23	राजगढ़	आम्बा	आम्बा	चालू(स्थल पर)	-	-
24	राजगढ़	ओढपुर	ओढपुर	चालू(स्थल पर)	-	-
25	राजगढ़	लाख्या	लाख्या	चालू(स्थल पर)	-	-
26	राजगढ़	लसुल्डीधाकड	लसुल्डीधाकड	चालू(स्थल पर)	-	-
27	राजगढ़	कालीतलाई	कालीतलाई	-	बंद	ग्राम पंचायत द्वारा न चलाने से
28	राजगढ़	सरेडी	सरेडी	चालू	-	-
29	खिलचीपुर	सेमलीकैला	सेमलीकैला	चालू	-	-
30	खिलचीपुर	डालूपुरा	डालूपुरा	चालू	-	-

क्र.	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम जहाँ योजना स्थापित है	योजना की वर्तमान स्थिति		बंद का कारण
				चालू	बंद	
31	खिलचीपुर	ढाबलीकँला	ढाबलीकँला	चालू	—	
32	खिलचीपुर	मुगरिया	मुगरिया	चालू	—	
33	खिलचीपुर	पपडेल	पपडेल	चालू	—	
34	खिलचीपुर	भोजपुर	भोजपुर	चालू	—	

JWS  
24/11/16

हस्ता/-  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड  
राजगढ़ (ब्यावरा)म.प्र.

  
28.11.16  
अनुभाग अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय, भोपाल